

U; k; ky; Hkū zU/k vf/kdkjh , o insu jktLo vihy  
i kf/kdkjh chdkuj

Ekgkohj [kjkMh vkj0, 0, 1 0

vihy I 0 79@2011

1. मु० घोटा बेवा चन्द्रा जाति मेघवंशी निवासी ठिमाउ बडी तहसील राजगढ जिला चूरु ।

vi hyk/

cuke

1. अमीलाल पुत्र गणपतराम जाति मेघवंशी निवासी ठिमाउ बडी तहसील राजगढ जिला चूरु ।
2. योगेन्द्र नाबालिग जरिये अपने पिता व वली फूलाराम पुत्र नथुराम जाति मेघवंशी निवासी ठिमाउ बडी तहसील राजगढ जिला चूरु ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ जिला चूरु ।

j i kMs VI

mi fLFkr%&

1. श्री गिरधारीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ललित गौतम अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट्स

U; k; ky; mi [k.M vf/kdkjh jktx< ftyk pw ds  
fu.kz o fMØh fnukd 14-10-2011 dsfo: } vihy  
vUrxr /kjk 223 jktLFku dk' rdkjh vf/kfu; e1955

fu.kz

दिनांक:-25.08.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2011 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख०न० 67 रकबा 24.18 बीघा जिसके हाल ख०न० 494 रकबा 2.06 बीघा, ख०न० 495 रकबा 4 बिस्वा, ख०न० 496 रकबा 6.12 बीघा, ख०न० 500 रकबा 3.02 बीघा, ख०न० 501 रकबा 5.17 बीघा, ख०न० 502 रकबा 6 बीघा एवम ख०न० 677 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 24.10 बीघा वाके रोही ठिमाउ तहसील राजगढ जिला चूरु में स्थित है ।
4. अपीलांट पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख०न० 67 रकबा 24.18 बीघा जिसके



हाल ख0न0 494 रकबा 2.06 बीघा, ख0न0 495 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 496 रकबा 6.12 बीघा, ख0न0 500 रकबा 3.02 बीघा, ख0न0 501 रकबा 5.17 बीघा, ख0न0 502 रकबा 6 बीघा एवम ख0न0 677 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 24.10 बीघा वाके रोही ठिमाउ तहसील राजगढ जिला चूरु में स्थित है को रेस्पो0 अमीलाल की खातेदारी कब्जा काश्त घोषित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया था । दावा पेश किये जाने के समय समस्त वादगत भूमियों में 1/2 हिस्सा रेस्पो0 अमीलाल 1/4 हिस्सा अपीलांटा के पति चन्द्रा तथा शेष 1/4 हिस्सा रेस्पो0 योगेन्द्र के नाम दर्ज रहा है । अपीलांटा/प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसके आधार पर अदालत मातहत द्वारा कुल 7 तनकीयात कायम की गयी जिसमें से तनकी सं0 1,2, व 3 का भार वादी तथा तनकी 4,5,6, का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया तथा तनकी सं0 7 अनुतोष के बाबत थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.11 के द्वारा उपरोक्त सभी तनकीयात के अनुतोष से बाहर जाकर समस्त अपीलगत कृषि भूमियों को लावारिश सम्पति राजशात किये जाने की कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया जो हर प्रकार से अपास्त किये जाने योग्य है । जमाबंदी सम्वत 2011 से 2014 में समस्त अपीलगत कृषि भूमियां रेस्पो0 अमीलाल 1/2 हिस्सा, अपीलांटा के पति चन्द्रा 1/4 हिस्सा व नानड 1/4 हिस्सा दर्ज रही है जो यथावत आगे दावा पेश होने तक 1/2 हिस्सा अमीलाल रेस्पो0, 1/4 हिस्सा अपीलांटा के पति चन्द्रा व 1/4 हिस्सा रेस्पो0 योगेन्द्र के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है । सम्वत 2034 में अपीलांटा के पति चन्द्रा ने अपीलगत कृषि भूमियों में स्थित अपील खातेदारी भूमि व कब्जा काश्त के 1/4 हिस्से का खाता अलग विभाजित करवा कर अपनी एक मात्र खातेदारी में दर्ज करवा लिया । खातेदार नानड लाओलाद फौत हुआ जिसके हिस्से की अपीलगत कृषि भूमियों में स्थित खातेदारी व कब्जा काश्त के रकबे को लेकर अपीलांटा के पति व रेस्पो0 अमीलाल के मध्य विवाद चला । अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी सं0 1,2 व 3 रेस्पो0/वादी अमीलाल के विरुद्ध निर्णित की तथा तनकी सं0 4 से 6 प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरुद्ध निर्णित करते हुये समस्त वादगस्त कृषि भूमियों को राजसात करने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.11 को पारित किया तथा दिनांक 02.11.11 को नोट अंकित करते हुये आदेश की छठी लाईन में कुल रकबा 24.10 बीघा सम्पूर्ण हिस्से के स्थान पर आधा हिस्सा पढा जावे क्यों कि अमीलाल का पूर्व में 1/2 हिस्सा दर्ज है, का अंकन किया गया । यहां यह कथन कर देना उचित होगा की अपीलांटा के पति का समस्त वादगत भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी में लगातार दर्ज चला आया है जिसका हवाला अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी दिया है लेकिन अपीलांटा के पति चन्द्रा की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को दिनांक 02.11.11 में अंकित संशोधन नोट में शामिल नहीं करके अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है । अधिनस्थ न्यायालय ने दावा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम व तनकीयात सं0 1 से 6 की परिधि से परे जाकर मनमाने व गलत रूप से निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है जो समस्त कानूनी प्रक्रिया व

प्रावधानों की अनदेखी में पारित किया हुआ होने से खारिज योग्य है । विवादित भूमि साबिक ख०न० 67 पक्षकारान के दादा लच्छु की खातेदारी खुदकाशत की थी जो बाद में पारिवारिक बंटवारा व विरासतन वादी अमीलाल, प्रतिवादी चन्द्रा व नानड के हिस्से में आई । रेस्प०/वादी अमीलाल का यह कथन की विवादित ख०न० 67 उसने व नानड ने जोतोड किया, सरासर गलत व मनगढत है । प्रमाणित प्रति मिशालबंदोबस्त सन 2011 ग्राम टिमाउ बडी अवलोकनार्थ पेश किया है । आपसी सहमति से राजस्व अभियान में दिनांक 02.12.78 को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुऐ उक्त तीनों पक्षों के बीच खाता विभाजन हुआ तथा वाद विभाजन अपने अपने हिस्सो रेस्प०/वादी अमीलाल 1/2 हिस्सा, अपीलाटा के पति चन्द्रा 1/4 हिस्सा शांतिपूर्वक निर्विवाद रूप से तथा नानड की पत्नी गौरा अपनी मृत्यु तक काबिज काशतकार रही है । इस प्रकार वादगत भूमि कभी भी लावारिश नहीं रही है जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजसात किया जाकर अहम कानूनी भूल की है । इस प्रकार तमाम तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2011 को खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जावे एवम मु० गौरा की मृत्यु पर सामाजिक रश्म भी अपीलांट के परिवार व प्रतिवादी चन्द्रा द्वारा की गयी है तथा नानड का निकटतम वारिश अपीलांटा का पति चन्द्रा होने के कारण विवादित भूमि में मु० गौरा के 1/4 हिस्से को अपीलांट अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने अधिकारिणी है । अतः गौरा का 1/4 हिस्सा अपीलांटा के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

5. रेस्प०पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्कों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख०न० 67 रकबा 24.18 बीघा जिसके हाल ख०न० 494 रकबा 2.06 बीघा, ख०न० 495 रकबा 4 बिस्वा, ख०न० 496 रकबा 6.12 बीघा, ख०न० 500 रकबा 3.02 बीघा, ख०न० 501 रकबा 5.17 बीघा, ख०न० 502 रकबा 6 बीघा एवम ख०न० 677 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 24.10 बीघा वाके रोही टिमाउ तहसील राजगढ जिला चूरु मे सम्वत 2000 की मिसल बंदोबस्त में वादी/रेस्प० अमीलाल व नानड पुत्र अगड़ी के नाम बहिस्सा बराबर तथा सम्वत 2010 में भी वादगत भूमि बहिस्सा बराबर अमीलाल व नानड के नाम खातेदारी दर्ज हुई जो हिस्से बहिस्सा बराबर काशत करते रहे है । सम्वत 2011 से 2014 प्रतिवादी सं० 1 चन्द्रा परिवार के सदस्य होने के नाते राजस्व कार्मिकों से साठगांठ कर वादगत भूमि ख०न० 67 में नानड के नाम अंकित 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा अपने नाम गलत खातेदारी दर्ज करवा लिया इसके बाद नानड के 1/4 हिस्सा, अमीलाल के 1/2 हिस्सा व चन्द्रा के 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है । इस गलत अंकन के दुरुस्ती हेतु घोषणात्मक दावा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नानड का स्वर्गवास सम्वत 2014 में हुआ उसके पश्चात नानड के नाम दर्ज हिस्सा नानड के बैवा मु० गौरा के नाम दर्ज हुआ । गौरा अमीलाल की सगी भाभी थी जो अमीलाल के सामिल रहती थी । अमीलाल ही उसकी सेवा चाकरी करता था तथा वादगत कृषि भूमि की काशत भी अमीलाल करता था । गौरा का स्वर्गवास लाओलाद दिनांक 22.07.98 को हो

गया । उसका वारिस अमीलाल ही था जिस कारण नानड की विवादित कृषि भूमि 1/2 हिस्सा भी अमीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज होना चाहिये था । सम्वत 2034 में राजस्व अभीयान में वादी व मु0 गौरा को बिना ज्ञान कराये विवादित कृषि भूमियों के अलावा भूमि का खाता विभाजन कह कर गलत खिलाफ कानून बिना वादी व गौरा की जानकारी के विवादित कृषि भूमियों व दुसरी कृषि भूमियों को जो उनके नाम अलग अलग खाते की थी सम्मिलित करके चन्द्रा ने खाता अलग अलग विभाजित करवा दिया । रेस्पो0/वादी अमीलाल के परिवार में फुलाराम ने राजस्व रेकार्ड में मु0 गौरा के नाम अंकित 1/4 हिस्से की भूमि को हडपने के लिये अपने पुत्र योगेन्द्र रेस्पो0/प्रतिवादी सं02 को गौरा का गलत व फर्जी दत्तक पुत्र बताते हुऐ गोदनामा दिनांक 29.07.98 को पंजीकृत करवा लिया जिसका वाद न्यायालय एडीजे राजगढ में सुनवाई के दौरान दिनांक 29.03.2004 को डिक्री किया जाकर उक्त गोद पत्र फर्जी मानकर न्यायालय एडीजे राजगढ ने उक्त गोद पत्र निरस्त कर दिया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.10.2011 को वादगत कृषि भूमि में रेस्पो0/वादी का 1/2 हिस्सा यथावत रखा तथा गौरा पत्नी नानड के हिस्से की 1/2 जो रेस्पो0/वादी के नाम खातेदारी होनी चाहिये थी क्यों कि गौरा पत्नी नानड रेस्पो0/वादी के नजदीकी रिश्तेदार थी तथा इसी के साथ रहती थी को नजरअन्दाज करते हुऐ गौरा पत्नी नानड का 1/2 हिस्सा राजसात कर दिया जो कानूनी रूप से गलत है अतः गौरा पत्नी नानड का 1/2 हिस्सा जो राजसात किया गया है वो रेस्पो0/वादी अमीलाल के नाम खातेदारी दर्ज की जावे व अपील अपीलांट की खारीज की जावे ।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेण्ट पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । सम्वत 2000 व 2010 में रेस्पो0/वादी अमीलाल व नानड के नाम वादगत कृषि भूमि बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज रही है । इसके पश्चात सम्वत 2011 से 2014 में नानड वल्द अगड़ी, अमीलाल वल्द गणपत एवम चन्द्रा के नाम दर्ज रही है । जिसका सम्वत 2034 में हुवे विभाजन में 1/3 1/3 हिस्से होना दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं । उक्त खाता विभाजन होकर राजस्व रेकार्ड में अंकन हुआ जिसमें वादगत कृषि भूमि में नानड वल्द अगड़ी का 1/4 हिस्सा, अमीलाल वल्द गणपत का 1/2 हिस्सा व चन्द्रा वल्द झाबर का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर उसी अनुसार कब्जा काश्त खातेदार दर्ज चला आ रहा है । जिसकी आपत्ती पूर्व में नानड व अमीलाल द्वारा नहीं की गयी तथा नानड की मृत्यु पश्चात उसकी बेवा गौरा द्वारा भी कोई आपत्ती नहीं की गयी है । गौरा की मृत्यु के पश्चात अमीलाल द्वारा नानड का 1/2 हिस्सा बताया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं होने पर खारिज कर दिया एवम प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम भी साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया किन्तु नोट में यह अंकन के कुल तादादी 24.10 बीघा सम्पूर्ण हिस्सा के स्थान पर आधा पड़ा जावे क्यों कि अमीलाल का पूर्व में 1/2 हिस्सा दर्ज है शेष सम्पती लावारिश सम्पती घोषित कर राजसात करने के आदेश प्रदान

किये गये जब अमीलाल का वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा पूर्व में दर्ज माना गया है तो इसी प्रकार से सम्वत 2034 की जमाबंदी में बतौर खातेदार वादगत कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा चन्द्रा का भी दर्ज रहा है जिसका विरोध किसी भी पक्षकार द्वारा पूर्व नहीं किया गया है । पूर्व में दर्ज हिस्से के अनुसार चन्द्रा भी वादगत कृषि भूमि में 1/4 हिस्से का कब्जा काश्त खातेदार है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चन्द्रा के 1/4 हिस्से को राजसात करने के जो आदेश पारित किये हैं वो न्याय संगत प्रतीत नहीं होते हैं । नानड़ वल्द अगड़ी के 1/4 हिस्से के संबंध में दोनो पक्षकारों द्वारा अपना अपना दावा साबित करने के लिये ऐसा कोई साक्ष्य इस न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि नानड़ की पत्नी गौरा की देखभाल दोनो पक्षों में से किसी एक ने की हो साक्ष्यों के अभाव में नानड़ वल्द अगड़ी का 1/4 हिस्सा राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

7. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2011 को खारिज किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि ख0न0 67 तादादी 24.10 बीघा में चन्द्रा वल्द झाबर का 1/4 हिस्सा , अमीलाल वल्द गणपत का 1/2 हिस्सा कब्जे काश्त खातेदार तथा नानड़ वल्द अगड़ी का 1/4 हिस्सा राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।
8. निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkmh/2  
Hki zU/k vf/kdkjh , oa  
insu jktLo vihy ixf/kdkjh  
chdkuj